नगर परिषद जौनपुर की पंचम बैठक दिनांक 3-10-89 दिन मंगलवार को सायं 5. बजे श्री सीताराम यादव, अध्यक्ष सिटी. जौनपुर की अध्यक्षता में टाउनहाल में हुई. जिसमें सदस्य उपस्थित रहे, उनके नाम व कार्यवाही निम्न प्रकार है।

| | | |
|---|---|---|
| 1 | श्री सीताराम यादव | अध्यक्ष |
| 2 | श्री मिठाईलाल | सदस्य |
| 3 | " राम अधार यादव | " |
| 4 | " नरेन्द्र बहादुर सिंह | " |
| 5 | " सैय्यद हैदर हसन | " |
| 6 | " नजीर हुसैन | " |
| 7 | " बाबूराम | नामित सदस्य |
| 8 | " रमजान खाँ | सदस्य |
| 9 | " राजेन्द्र प्रताप सिंह | " |
| 10 | " मो० सलीम | " |
| 11 | श्रीमती नसरीन अब्बास | नामित सदस्य |
| 12 | श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह | सदस्य |
| 13 | श्री वीरेन्द्र प्रताप यादव | " |
| 14 | " हुबलाल | " |
| 15 | " डा० कृष्ण कुमार | " |
| 16 | " डा० सुनील श्रीवास्तव | " |
| 17 | " मुख्तार अहमद | " |
| 18 | " गणेश नाथ रावत | " |
| 19 | " शिवकुमार गुप्ता | " |
| 20 | " बाबूलाल गुप्ता | " |
| 21 | " दयाशंकर | " |
| 22 | " ज्यारत हुसैन | " |
| 23 | " अनवर रजा | " |
| 24 | " श्री भगवान आर्य | " |
| 25 | " विद्यासागर सोनकर | " |
| 26 | " कैलाशनाथ मौर्य | " |

सीताराम यादव
अध्यक्ष
सिटी. बोर्ड
जौनपुर
3.10.89

3.10.89.

परिषद के बैठक की कार्यवाई प्रारम्भ होने पर दिनांक 3.10.89 की बैठक में श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, उपाध्यक्ष ने सभासदों द्वारा दिये गये प्रस्तावों को एजेन्डा में सम्मिलित किये जाने का अनुरोध किया जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा उसे भविष्य की बैठकों में रखे जाने का आश्वासन दिया गया।

| प्रस्ताव :- | निर्णय :- |
|---|---|
| 1. पिछली बैठक दिनांक 31.8.89 की कार्यवाही वास्ते पुष्टि. | पढ़ी गयी और बहुमत से कार्यवाही की पुष्टि हुयी। |
| 2. वित्तीय वर्ष 89.90 के माह अप्रैल 89 से अगस्त 89 तक के मासिक आय-व्यय विवरण परिषद के अवलोकनार्थ | अधिशासी-अधिकारी द्वारा माह अप्रैल 89 से अगस्त तक के आय-व्यय के आँकड़े पढ़े गये, सभासदों द्वारा आय-व्यय के आँकड़े की एक एक प्रति चर्चा में सुविधा की दृष्टिकोण से माँगी गई, जिसे दिये जाने का आश्वासन दिया गया। |
| 3. शासनादेश संख्या 2701ए/9-1-89-503 (सा० स० अनु०)/89 दिनांक 26-7-89 द्वारा रु 14.50 लाख के अन्तर्गत 106 निर्माण कार्यों के अतिरिक्त 6 निर्माण कार्यों के (सूची संलग्न) आँकलन स्वीकृति हेतु. | प्रस्ताव पर विचार किया गया एवं 6 निर्माण कार्यों (सूची संलग्न) के आँकलन स्वीकार किये गये। अग्रेत्तर कार्यवाई की जाय। |

प्रस्ताव सं० 3 दिनांक 3-10-89 3-10-89.

सिटी बोर्ड कार्यालय जौनपुर

शासनादेश संख्या 2701/9-1-89-503(आ०वि०वि०)/89 दिनांक 26-7-1989 द्वारा मिली रु० 14.50 लाख से कराये जाने वाले कार्यों के नाम एवं आगणन की धनराशि।

| क्रमांक | कार्य का नाम | आगणन की धनराशि |
|---|---|---|
| 1- | अटाला मस्जिद के पीछे चौक के बगल वाली गली तथा अलफस्टीनगंज को मिलाने वाली गली को ऊँचा करना एवं नाली निर्माण -- | 42,923-00 |
| 2- | मो० ढालगरटोला में श्री जब्बार के मकान से स्कूल तक सोलिंग निर्माण - - | 10,216-00 |
| 3- | अटाला मस्जिद के सामने मैदान पर कुल नाली निर्माण | 3,029-00 |
| 4- | ढालगरटोला में श्री बारी एडवोकेट के मकान के पास कुल नाली निर्माण -- | 3629-00 |
| 5- | मो० अरजन में मल्हनी रोड से श्री मंजूर अहमद के मकान तक सड़क निर्माण का कार्य -- | 54,751-00 |
| 6- | लूतीपुर-ताड़तला रोड से रा-वाटर पम्पिंग स्टेशन तक सड़क पुनर्निर्माण एवं सीढ़ी निर्माण - - - | 1,29,061-00 |

नगर अभियन्ता
सिटी बोर्ड जौनपुर।
3-10-89

अधिशासी अधिकारी
सिटी बोर्ड जौनपुर
3-10-89

अध्यक्ष
सिटी बोर्ड जौनपुर
3-10-89

| प्रस्ताव :- | निर्णय :- |
| --- | --- |
| 4. पत्रावलि बावत कालीकुटी (शास्त्रीनगर) रोड पर परमात्तपुर सरस्वती बाल मंदिर रोड तक सड़क निर्माण हेतु प्राप्त निविदाओं में निविदा रु 2,74,222=00 ठेकेदार श्री नागेन्द्रनाथसिंह का परिषद की स्वीकृति हेतु। | विचार किया गया। श्री नागेन्द्रनाथ सिंह ठेकेदार की न्यूनतम निविदा रु 2,74,222=00 का स्वीकार किया गया। शासकीय स्वीकृति के लिये अग्रेतर कार्यवाई की जाय। |
| 5. पालिका प्रकाश विभाग के लिये स्ट्रीट लाइट के कार्य हेतु 20=00 दैनिक मजदूरी पर एक मिस्त्री की सेवायें आगे बढ़ाये जाने पर विचार। | एक माह (अक्टूबर 89) के लिये स्वीकृत। |
| 6. सफाई विभाग में कार्यरत 25 सफाई कर्मचारियों (स्वच्छकार) की स्वीकृति दैनिक वेतन पर आगे बढ़ाये जाने पर विचार। | एक माह (अक्टूबर 89) के लिये स्वीकृत। |
| 7. सफाई विभाग में 3 ट्रैक्टरों पर दैनिक वेतन भोगी 9 सफाई कर्मचारियों (स्वच्छकार) की स्वीकृति आगे बढ़ाये जाने पर विचार. | एक माह (अक्टूबर 89) के लिये स्वीकृत। |

Scanned with OKEN Scanner

3-10-89.

| प्रस्ताव.- | निर्णय.- |
|---|---|
| 8. जलकल विभाग में नलकूपों के संचालन हेतु दैनिक वेतन पर चल रहे 39 पम्प-आपरेटरों की सेवायें आगे बढ़ाये जाने पर विचार. | एक माह (अक्टूबर 89) के लिए स्वीकृत। |
| 9. जलकल विभाग में पाइप लाइनों के अनुरक्षण (रखरखाव) हेतु दैनिक वेतन पर चल रहे 6 बेलदारों की सेवायें आगे बढ़ाये जाने पर विचार | एक माह (अक्टूबर 89) के लि स्वीकृत। |
| 10. अन्य विषय अध्यक्ष की स्वीकृति से. | |

पूरक कार्य सामग्री (एजेन्डा) दिनांक 3-10-89

| | |
|---|---|
| 1. परिषद के निर्वाचित 23 सदस्यों को नगर भ्रमण हेतु रु 700=00 मासिक भत्ता स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में, श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, उपाध्यक्ष, सिटी बोर्ड जौनपुर के प्रस्ताव पर विचार विमर्श। | विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण को शासन को भेजा जाय। |
| 2. तृतीय पुनर्गठन जलापूर्ति (तुरन्त राहत योजना) के कार्यान्वयन हेतु अधिशासी-अभियन्ता, प्रकल्प शाखा, उ०प्र० जलनिगम जौनपुर के पत्र संख्या 227/डब्लू० एस०-3/73 दिनांक 14-9-89 के अनुसार योजना विरचन शुल्क. | विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया कि जल-निगम को योजना विरचन शुल्क मद में 10,000=00 (दस हजार) का भुगतान किया जाय। |

Scanned with OKEN Scanner

| प्रस्ताव :- | निर्णय :- |
| --- | --- |
| मद में ₹ 2.32 लाख (दो लाख बत्तीस हजार) भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में परिषद की बैठक में विचार. | |
| 5. नगर में नालों की सफाई के लिये चार सफाई कर्मचारियों तथा सब्जीमंडी में सफाई कार्य के लिये अन्य चार सफाई कर्मचारी को निर्धारित दैनिक मजदूरी पर पालिका अध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 18-8-89 द्वारा की गयी तैनाती परिषद के सूचनार्थ. | अनुमोदित किया गया। |

सीताराम यादव
(सीताराम यादव)
अध्यक्ष,
सिटी-बोर्ड, जौनपुर
3-10-89.

नोट - पन्ना संख्या 17, 18 तथा 19 में अंकित दिनांक 3.10.89 की बैठक की कार्यवाही दिनांक 3.1.90 की बैठक में संपुष्ट नहीं की गयी और सम्पूर्ण कार्यवाही को निरस्त कर सभी सभासदों की सहमति से स्वीकृत व अधिशासी अधिकारी सचिव द्वारा तैयार की गयी कार्यवाही, कार्यवाही पुस्तिका में अंकित करने का सर्वसम्मत निर्णय लिया गया। तदनुसार यह कार्यवाही पृष्ठ संख्या 20 से 33 तक अंकित की गयी। यही कार्यवाही दि० 3.10.89 की कार्यवाही मानी जाये और संपुष्टि हेतु बैठक में प्रस्तुत की जाये।

रवि प्रकाश
25/1/90
अधि० अधि०

दिनांक 3.10-89 की बैठक की कार्यवाही दिनांक 8.1.90 की बैठक के प्रथम प्रस्ताव के अनुक्रम में बोर्ड की सहमति से अंकित की जारही है, जो अधिशासी अधिकारी द्वारा बनाकर दी गयी थी।

" सिटी-बोर्ड-जौनपुर की पांचवी बैठक दिनांक 3.10-89 की कार्यवाही:-

बैठक की कार्यवाही प्रारंभ होने पर दिनांक 3.10-89 की बैठक के लिये प्रस्तुत कार्य सामग्री के प्रथम बिन्दु पर अंकित पिछली बैठक दिनांक 31.8.89 की कार्यवाही पुष्टि हेतु प्रस्तुत करने से पूर्व श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, उपाध्यक्ष, सिटी-बोर्ड जौनपुर ने काम रोको प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुये यह जानना चाहा कि सिटी-बोर्ड की बैठक समय से क्यों नहीं होती, जबकि नियमों में प्रति माह कम से कम एक बैठक होने का अनिवार्य प्राविधान है यह चिन्ता का विषय है तथा सभासद बन्धुओं के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। उपाध्यक्ष श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह ने इस बात पर भी असन्तोष व्यक्त किया कि सदस्यों से प्राप्त प्रस्ताव/प्रश्न एजेन्डा में सम्मिलित नहीं किये जाते और इस प्रकार मान्य सभासदों की उपेक्षा की जा रही है। श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह के इस प्रस्ताव का समर्थन श्री मो० सलीम, श्री दयाशंकर, डा० कृष्ण कुमार, श्री उतसरजा, श्री विद्यासागर सोनकर, डा० सुनील श्रीवास्तव, श्री शोभनाथ आर्य, श्री रमजान खां, श्री शिवकुमार गुप्त, श्री नजीर तथा श्री दुखलाल ने किया। मान्य सदस्यों को अध्यक्ष ने बताया कि अब प्रति माह एक बैठक अनिवार्य रूप से की जायेगी तथा सदस्यों के जो भी प्रस्ताव/प्रश्न प्राप्त होंगे वह प्रस्ताव प्राप्त होने के तत्काल बाद होने वाली बैठक में रखा जायेगा। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए डा० कृष्ण कुमार ने ~~जानना~~ जानना चाहा कि वह कौन सी परिस्थितियां है, जिसके कारण अब तक प्रतिमाह बैठक नहीं हो पायी? और इसके लिये किस प्रकार सुनिश्चित किया जाय कि अगले माह से नियमित रूप से बैठक होगी? इस पर अध्यक्ष ने पुनः आश्वासन दिया कि कुछ परिस्थितियों के कारण बैठक बैठक स्थगित करनी पड़ी थी जिससे सभासद गण अवगत हैं। अब भविष्य में प्रति माह नियमित रूप से बैठकें होंगी और सदस्यों से प्राप्त प्रस्ताव/प्रश्न बैठक में रखें जायेंगें तथा उनका उत्तर भी दिया जायेगा।

3.10.89

चर्चा को आगे बढ़ाते हुये मान्य सभासद श्री अनसराजा ने कहा कि बैठक में अब तक जो प्रस्ताव या प्रश्न प्राप्त होते रहे है वह क्यों नही रखे गये ? और जो प्रस्ताव / प्रश्न अब तक कार्यालय में प्राप्त हो गये है इन प्रश्नों का क्या होगा ? बैठक में सदस्यों ने लोक महत्व के प्रश्नों एवं प्रस्तावों को कार्यवाई में सम्मिलित न करने तथा उपेक्षित करने का आरोप लगाया, जिस पर अध्यक्ष ने पुनः स्पष्ट किया कि आगे ऐसा नही होगा। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुये सभासद डा० सुनील श्रीवास्तव ने कहा पहले भी जो प्रश्न या प्रस्ताव बैठक में रखे गये हैं उनमें क्रमबद्धता का ध्यान नही रखा गया तथा लोक महत्व के प्रश्नों को महत्ता नही दी गयी भविष्य में जो भी बैठक हो उनमें प्राप्त प्रश्न / प्रस्ताव को प्राथमिकता एवं क्रमबद्धता के आधार पर ही बैठक में रखा जाय जिससे सदस्यों के बीच उपेक्षाभाव की भावना न उत्पन्न हो पाये। इस प्रस्ताव का श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह एवं श्री रमजान खां व वरिष्ठ एवं कनिष्ठ उपाध्यक्ष सहित सभी सभासदों ने समर्थन किया।

चर्चा को आगे बढ़ाते हुये श्री शोभनाथ आर्य, डा० सुनील श्रीवास्तव, श्री अनसराजा तथा श्री रमजान खां ने मांग की कि बैठक में एक घन्टे का प्रश्नोत्तर काल तथा एक घन्टे का शून्य काल अवश्य रखा जाय, जिससे सभासदगण लोक महत्व के प्रश्नों को पूछ सकें। प्रश्नोत्तर काल तथा शून्य काल के लिये बैठक के शुरु में या अन्त में एक समय आज ही की बैठक में ही निर्धारित कर दिया जाय। इस पर अध्यक्ष ने बताया कि वह नियमों की समीक्षा करके आगामी बैठक में इस प्रस्ताव पर अपनी व्यवस्था देंगे।

इसी चर्चा में मान्य सदस्य श्री नजीर ने प्रश्न उठाया कि श्री कामेश्वरनाथ मिश्र, सफाई निरीक्षक के विरुद्ध पालिका के 16 मान्य सदस्यों ने एक ज्ञापन दिया है, जिसमें सफाई नायकों एवं सफाई कर्मचारियों को प्रताड़ित करने, धमकी देने आदि का उल्लेख है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाई नही की गयी, इसका कारण बतायें? श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री अनसराजा, डा० सुनील

श्रीलाल, श्री रमजान खां, श्री ओमनाथ आर्य, श्री दुबलाल, श्री मोहसलीम, श्री शिवकुमार गुप्ता, श्री गणेशनारायण, श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह, श्री वीरेन्द्र प्रताप यादव, आदि सभासदों ने मांग की कि सभासदों के उक्त ज्ञापन में अब तक क्या कार्यवाई की गयी और कार्यवाई में विलम्ब क्यों किया जा रहा है? ज्ञापन में आरोपित बिन्दुओं की जांच सभासदों की एक समिति बनाकर करायी जाय, जिससे सफाई कर्मचारियों में असन्तोष न हो। सभासदों ने जानबूझ कर विलम्ब करने का आरोप लगाया कि सफाई निरीक्षक के विरुद्ध आरोप गम्भीर है और उसे पूर्वनियोजित ढंग से बचाया जा रहा है। इस पर अध्यक्ष ने कहा कि वह ज्ञापन को देखकर निर्णय लेंगे कि क्या किया जा सकता है। अध्यक्ष के इस उत्तर से असन्तुष्ट सदस्यों ने मांग की कि ज्ञापन में हस्ताक्षर करने वाले सभी सदस्य हस्ताक्षरकर्तागण उपस्थित हैं, अध्यक्ष चाहें तो उनसे विस्तृत जानकारी तथा सबूत भी इसी सभा में प्राप्त कर लें और इसी सभा के सभासदों की एक समिति द्वारा ज्ञापन की जांच करायी जाय। जांच में विलम्ब होने से कर्मचारियों में असन्तोष बढ़ना स्वाभाविक है। आज उक्त सफाई निरीक्षक जमादारों एवं कर्मचारियों को धमकी देता है कल ज्ञापन में हस्ताक्षर करने वाले मान्य सदस्यों को भी धमकी देगा। सफाई निरीक्षक द्वारा आये दिन कर्मचारियों के प्रति ज्यादती की जाती है। अध्यक्ष एक निर्धारित सीमा तय करें कि वह कब तक कार्यवाई करेंगे और कृत कार्यवाई से सदस्यों को कब अवगत करायेंगे? अध्यक्ष ने बताया कि वह 15 दिनों के भीतर निर्णय ले लेंगे तथा अगली बैठक में इस पर पूरी जानकारी देंगे।

श्री ओमनाथ आर्य मान्य सभासद ने बताया कि वह श्री दुर्गा पूजा महासमिति के उपाध्यक्ष भी हैं और इसी नाते श्री दुर्गा पूजा महासमिति से सम्बद्ध समितियों की समस्यायें उनके पास आयी हैं। उन्होंने बताया कि श्री दुर्गा पूजा का महत्वपूर्ण पर्व शुरू हो चुका है और अभी तक अधिकांश श्री दुर्गा पूजा स्थापना स्थलों के आसपास पर्याप्त सफाई नहीं हुयी है। जगह-जगह पर कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं,

उन्होंने पालिटेक्निक चौराहा, मिर्जापुर, ओलन्दगंज, अहियापुर, इक्बालाबाद, एहदा रोड पर रखी हुई श्री दुर्गापूजा मूर्तियों का जिक्र करते हुये बताया कि इन मूर्तियों के आसपास सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है और न तो वहाँ पर चूना का छिड़काव है। इस पर अध्यक्ष ने बताया कि श्री दुर्गापूजा म० समिति के अध्यक्ष श्री शशिमोहन सिंह ने उनके निवास पर सम्पर्क करके यह बताया कि श्री दुर्गापूजा मूर्तियों के आसपास सफाई की पर्याप्त व्यवस्था है और उन्हें कोई आपत्ति/समस्या इस सम्बन्ध में नहीं प्राप्त है। इस पर मान्य सभासद श्री सोमनाथ आर्य ने पुनः कहा कि वह इसके लिये अध्यक्ष को आज ही सभी स्थल दिखाने को तैयार हैं, जिन पर सफाई नहीं हुयी है या सफाई नहीं हो रही है। अध्यक्ष ने उन्हें अपने साथ निरीक्षण कराने हेतु आमंत्रित किया।

चर्चा को आगे बढ़ाते हुये श्री अनसरजा, सभासद ने बताया कि श्री दुर्गापूजा की अधिकांश मूर्तियाँ अटाला-मस्जिद के पास से विसर्जन के लिये जाती हैं। यह कार्यक्रम रात्रि में होता है। अटाला मस्जिद की मर्करी पिछले एक माह से बन्द है और उसके मार्गों में आसपास प्रकाश की व्यवस्था नहीं है। इस रोड पर नालियों की सफाई नहीं हुई है। गोशाला के पास स्थापित श्री दुर्गा मूर्ति के सामने ही कूड़े का ढेर लगा हुआ है तथा नालियों की विगत 15 दिनों से सफाई नहीं हुई है। सफाई निरीक्षक से कतिपय बार कहने के बाद भी उन्होंने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। मान्य सभासद श्री अनसरजा की बात का समर्थन डा० सुनील श्रीवास्तव, श्री रमजान खाँ, तथा मो० नजीर ने किया। सभासदों ने इस बात पर भी चिन्ता व्यक्त की कि चौकिया तीर्थ में श्री दुर्गा पूजा के नाम पर दैनिक-वेतन भोगी कर्मचारियों की फर्जी उपस्थिति अंकित की जा रही है। यह कार्य भी उक्त सफाई निरीक्षक की देख-रेख में ही हो रहा है। प्रतिमाह

फर्जी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नाम पालिका को भारी आर्थिक क्षति पहुंचायी जा रही है, जिससे नियमित कर्मचारियों को समय से वेतन मिल पाना भी संभव नहीं हो पा रहा है। इस पर अध्यक्ष ने बताया कि सम्बन्धित रोड पर प्रकाश व्यवस्था तुरन्त ही सम्पन्न करा दी जायेगी और सफाई व्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा।
दो-तीन सभासदों को छोड़कर पालिका के सभी सभासदों ने सफाई की निरन्तर गिरती हुई दशा पर चिन्ता व्यक्त करते हुये कहा कि इतना अधिक व्यय करने के बाद भी नगर की सफाई व्यवस्था सुधर नहीं रही।

मान्य सभासद श्री अनसरुल्ला, श्री रमजान खाँ, श्री दयाशंकर, श्री मो० सलीम, श्री नजीर, श्री वीरेन्द्र प्रताप यादव, ने आरोप लगाया कि सफाई के नाम पर केवल चार भैंसा-गाड़ियाँ चलती हैं, किन्तु फर्जी ढंग से 09 भैंसागाड़ी चलाया जाना दिखाकर फर्जी भुगतान किया जा रहा है तथा पालिका को आर्थिक क्षति पहुँचायी जा रही है। मान्य सभासद श्री अनसरुल्ला ने इसके जाँच हेतु चुनौती दी कि जाँच होने पर इसे सिद्ध कर सकते हैं। अध्यक्ष ने बताया कि ऐसा कोई भुगतान नहीं किया गया।

श्री शोभनाथ आर्य, मान्य सभासद ने कहा कि नगर पालिका इन्टर कालेज, जौनपुर में गणित प्रवक्ता के पद पर श्री रामप्यारे राम की कथित नियुक्ति को मण्डलायुक्त - वाराणसी ने स्थगित (स्टे) कर दिया है। मंडलायुक्त का आदेश अध्यक्ष/ प्रबंधक ~~(क्षेत्र)~~ तथा प्रधानाचार्य एवं जिला शिक्षा-अधिकारी सभी को प्राप्त हो चुका है फिर भी अभी तक उक्त श्री राम प्यारे राम कार्यरत हैं। आयुक्त के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया इसका कारण बताया जाय। मान्य सभासद श्री अनसरुल्ला श्री रमजान खाँ, तथा श्री दयाशंकर ने इसका समर्थन किया। इस पर अध्यक्ष ने बताया कि यह प्रकरण बोर्ड के कार्यक्षेत्र के बाहर है। सदस्य ने पुनः कहा कि विद्यालय नगरपालिका का है। अतः विद्यालय

3.10.89.

सम्बन्ध में इस सभा में चर्चा हो सकती है उस पर अध्यक्ष ने कहा कि वह प्रकरण पर विचार कर आवश्यक कार्यवाही करेंगे। इसके बाद दिनांक 3-10-89 की बैठक के लिये निर्धारित कार्य सामग्री पर विचार प्रारम्भ हुआ।

1. पिछली बैठक दिनांक 3.9.89 की कार्यवाही वास्ते पुष्टि :-

पिछली बैठक की कार्यवाही पढ़ी गयी। इस सम्बन्ध में कार्यवाही का विरोध करते हुये सर्वश्री अनवरजा तथा श्री रमजान खां सदस्यों ने प्रश्न उठाया कि सभापतियों के निर्वाचन सम्बन्धी पिछली कार्यवाही ही अवैध है, क्योंकि पालिका अधिनियम की धारा 107 के अन्त… सभापतियों का चुनाव सदस्यों के द्वारा ही हो सकता है न कि अध्यक्ष द्वारा इस… पर कोई नियुक्ति की जायेगी। निर्वाचन में कोई भी सदस्य खड़ा होकर हार जीत सकता था। सदस्य श्री अनवरजा ने इस मुद्दे पर आपत्ति की कि मिनिट बुक (कार्यवाही पुस्तिका) में अंकित तथा कथित पत्र जिसमें सर्वश्री कमला प्रसाद सिंह, सांप… [पिदन सदस्य] का हस्ताक्षर एवं उसी आध… पर कार्यवाही पुस्तिका उनका समर्थन तथ… नामोल्लेख है, के बारे में स्पष्ट किया… जो सदस्य सदन में अनुपस्थित रहता है… उसका समर्थन किसी भी प्रस्ताव के पक्ष… विपक्ष में अंकित किया जाना अवैध है, क… कोई सदस्य सदन में रहकर ही किसी प्र… के पक्ष या विपक्ष में अपना मत दे सकता… सदन के बाहर उसके मत या समर्थन की… कोई भी वैधानिक स्थिति नहीं होगी। ऐ… दशा में कार्यवाही पुस्तिका में श्री कमला

प्रसाद सिंह, सांसद (पदेन सदस्य) के समर्थन से अंकित प्रस्ताव सं० 2 अवैध है और इसके अन्तर्गत की गयी कार्यवाही भी अवैध है। इस पर सदस्य श्री सै० मेंहदी हसन ने जोर देकर कहा कि दिनांक 31.8.89 की बैठक में श्री कमला प्रसाद सिंह, सांसद (पदेन सदस्य) बैठक में उपस्थित थे और उन्होने उपस्थिति पंजिका में अधिशासी-अधिकारी के समक्ष ही अपने हस्ताक्षर किये हैं। श्री सै० मेंहदी हसन, सभासद ने आपत्ति करने वाले सदस्यों को चुनौती दी कि वह श्री कमला प्रसाद सिंह, सांसद, की अनुपस्थिति को सिद्ध करें। इस बात को लेकर थोड़ा तनाव एवं उत्तेजना की स्थिति आयी। ऐसी दशा में अधिशासी-अधिकारी को कार्यवाही-पुस्तिका एवं उपस्थिति पंजिका के माध्यम से स्पष्ट करना पड़ा कि दिनांक 31-8-89 की बैठक में न तो श्री कमला प्रसाद सिंह, सांसद उपस्थित थे, और न उपस्थिति पंजिका में उनके हस्ताक्षर ही हैं और न ही उन्होंने किसी कार्यवाही मे भाग लिया। कार्यवाही पुस्तिका से स्थिति स्पष्ट होने पर डा० कृष्ण कुमार, सभासद ने कहा कि यह बड़े खेद की बात है कि इस सदन का एक सम्मानित सदस्य गलत बयानी करके, और जोर तथा दबाव से एक अनुपस्थित

3-10-89

सदस्य को उपस्थिति प्रमाणित करा
चाहा है, यह सदन एवं सदस्य के
की गरिमा के अनुकूल नहीं है। फि
सदस्य श्री अनसरजा ने कहा कि
उपस्थिति पंजिका एवं कार्यवाही
पुस्तिका कार्यालय में नहीं रखी
जाती, उसे अध्यक्षा अपने निव
पर रखते हैं, जिससे सम्मानित
सदस्यों को कार्यवाही पुस्तिका
देखने को नहीं मिलती है, जब
पालिका अधिनियम के अन्तर्गत
किसी भी सदस्य द्वारा मांग क
पर कार्यालय समय में कार्यवा
पुस्तिका अवलोकन एवं निरी
हेतु उपलब्ध कराने का अनिवा
प्राविधान है। सभासद की बात
श्री रमजान खां, कनिष्ठ उपाध्यक्ष,
श्री दयाशंकर, श्री सोमनाथ आर्य, डा
कृष्णकुमार, श्री वीरेन्द्र प्रताप यादव,
तथा अन्य सदस्यों ने समर्थन कि
और यह मांग की कि कार्यवाही
पुस्तिका कार्यालय की सम्पत्ति है
उसे कार्यालय में रहना चाहिये और
सदस्यों को हर समय अवलोकन
के लिये उपलब्ध करायी जाय। इस
पर अध्यक्षा ने कहा कि यह गलत है
कार्यवाही पुस्तिका कार्यालय में
उपलब्ध रहती है। सदस्यों द्वारा
यह पूछे जाने पर कि किस -
कर्मचारी या अधिकारी के पास
कार्यवाही पुस्तिका रहती है ?

Scanned with OKEN Scanner

अध्यक्ष द्वारा किसी अधिकारी या कर्मचारी के नाम का उल्लेख नहीं किया जा सका। इसी तारतम्य में सर्वश्री ओमप्रकाश, ओमप्रकाश आर्य, रमजान खां, वीरेन्द्र प्रताप यादव, ज्यारत हुसैन, रविन्द्र प्रताप सिंह, डा० सुनील श्रीवास्तव, तथा डा० कृष्णकुमार, सभासद ने मांग किया कि विभिन्न सभापतियों का चुनाव पालिका अधिनियम की धारा 107 के अन्तर्गत नहीं हुआ था, अतः यह अवैध है। इसे कार्यवाही से हटाया जाय, क्योंकि निर्वाचन सम्बन्धी कोई भी कार्यवाही बोर्ड की बैठक में ही हो सकती है। अध्यक्ष को समितियों के सभापतियों की नियुक्ति करने का अधिकार नहीं है और अध्यक्ष द्वारा इस सम्बन्ध में लिया गया निर्णय अवैध है। इस पर सभापतियों के, अध्यक्ष द्वारा की गयी नियुक्तियों के समर्थक सदस्यों द्वारा विरोध किया गया और स्थिति तनावपूर्ण होती प्रतीत हुयी, जिस पर अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने पालिका के 15 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित समर्थन पत्र (ज्ञापन) दिनांक 31-8-89 के अनुसार उचित विवेक का प्रयोग करते हुये सभापतियों की नियुक्ति की है, इसमें वह कुछ भी अवैधानिक नहीं पा रहे हैं। अध्यक्ष की इस व्यवस्था से खुले निर्वाचन के

3.10.89.

समर्थक गण सन्तुष्ट नही हुये और
उन्होने भारी विरोध किया। अ
पिछली बैठक की कार्यवाही
पुष्टि का प्रस्ताव आने पर
निर्वाचन के समर्थक सदस्यों
ने पिछली बैठक की कार्यवाही
की पुष्टि करने से इनकार कर
दिया जबकि अध्यक्ष ने पिछली
कार्यवाही को सदस्यों द्वारा सम
कर दिया घोषित किया गया
इस पर पुनः सदस्यों द्वारा भारी
विरोध व्यक्त किया गया और
यह स्पष्ट किया गया कि अभ
तक कार्यवाही की पुष्टि नही
गयी है और यदि अध्यक्ष
पुष्टि मानी जाती है तो वह
मतदान द्वारा कार्यवाही की
पुष्टि करायें। इस पर श्री
मेंहदी हसन ने पुनः जोर देक
कहा कि हम कार्यवाही को
सम्पुष्ट मानते हैं, जो सदस
कार्यवाही को सम्पुष्ट नही
मानते हैं, वह अपना पक्ष
एवं बहुमत सिद्ध करें।
अन्त में अध्यक्ष द्वारा कार्य
को पुष्टि हेतु हाथ उठाकर सम
की व्यवस्था दी गयी जिसमें
प्रथम चक्र में 12 सदस्यों ने सम
करने के पक्ष में तथा 8 सदस
ने सम्पुष्ट न होने के पक्ष
में हाथ उठाये। तीन सदस

इसमें भाग नहीं लिये। इस पर पुनः शोर शराबे की स्थिति उत्पन्न हुई। अध्यक्ष द्वारा एक एक सदस्य से कार्यवाही की पुष्टि के सम्बन्ध में प्रस्ताव की गयी। परिणाम स्वरूप बहुमत से कार्यवाही की पुष्टि हुई लेकिन इस पुष्टि के कुछ ही देर बाद एक सदस्य श्री सिवकुमार गुप्त ने कार्यवाही की पुष्टि से अपना समर्थन वापस लेने की घोषणा कर दी लेकिन फिर भी बहुमत से कार्यवाही की पुष्टि प्रमाणित रही।

2. वित्तीय वर्ष 89-90 के माह अप्रैल 89 से अगस्त 89 तक के मासिक आय व्यय विवरण परिषद के अवलोकनार्थ।

अधिशासी अधिकारी द्वारा माह अगस्त 89 तक आय-व्यय के आंकड़ों में अगस्त 89 के आय-व्यय आंकड़े पढ़े गये। सदस्यों ने मांग की कि आय-व्यय के आंकड़ो की एक एक प्रति उन्हें उपलब्ध करायी जाय ताकि चर्चा में सुविधा हो। अधिशासी अधिकारी ने बताया कि अगली बैठक में ऐसा ही किया जायेगा। बाद में सदस्यों की मांग पर चुंगी एवं निर्बंध करों की वसूली मद के आंकड़े, अलग-अलग प्रस्तुत किये। माह अगस्त 89 तक विभिन्न स्रोतों से कुल आय रु 40.60 लाख तथा कुल व्यय रु० 57.59 लाख रहा। इस पर श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, उपाध्यक्ष ने जानना चाहा कि आय से अधिक व्यय होने का कारण क्या है? तथा

3.10.89

अतिरिक्त धन कहाँ से प्राप्त हुआ, इस पर स्पष्ट किया गया कि सड़कें आदि निर्माण कार्यों मद में गतवर्ष के अवशेष धन का प्रयोग / उपयोग (utilised) किया गया है। चर्चा में भाग लेते हुए सभासद श्री अनसरजा ने कहा कि चुंगी पालिका आय का मुख्य स्रोत है और अध्यक्ष एवं इसके प्रति गम्भीर है। चुंगी आय से पिछले तीन-चार माह में 62.96 लाख की कमी आयी है चुंगी चोरी का सबूत है। सभासद ने कहा कि प्रतिवर्ष 10% चुंगी आय बढ़ जाना स्वाभाविक है क्योंकि नगर क्षेत्र में दिन प्रतिदिन विस्तार तथा उपभोक्ताओं की माँग में वृद्धि हुयी है। श्री अनसरजा ने आँकड़े प्रस्तुत करते हुये बताया कि चुंगी आय में 62.96 लाख की कमी आयी है जो नितांत आपत्तिजनक है तथा चुंगी विभाग में व्याप्त चुंगी चोरी अभियान तथा अव्यवस्था को परिचायक है। इस पर अध्यक्ष के आदेश पर चुंगी निरीक्षक श्री यादव ने माह सितम्बर 89 तक चुंगी आय के वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 के आँकड़ो द्वारा बताया कि गतवर्ष से 62.64 लाख की वृद्धि हुयी है। इस पर सभासद श्री अनसरजा ने पूछा कि और बताया कि गतवर्ष माह सितम्बर

तक इससे पिछले वर्ष की अवधि में रु 4.86 लाख की वृद्धि हो चुकी है। इस वर्ष वृद्धि मात्र 2.64 लाख की हुई है, जो रु 2.22 लाख कम है। इसमें भी 10% की स्वाभाविक वृद्धि जोड़ी जाए तो हानि रु 2.96 लाख हो जाती है। चुंगी नाकाओं की अव्यवस्था का कई एक दृष्टान्त भी दिये। डा० श्री सुनील श्रीवास्तव, श्री सोमनाथ आर्य, श्री रमजान खां, श्री ज्याकत हुसैन श्री दिवाकर, श्री मो० नजीर, तथा श्री शिवकुमार गुप्त ने इसका समर्थन किया। श्री अनसरजा के आरोप पर अध्यक्ष ने कहा कि प्रतिवर्ष 10% आय वृद्धि का कोई भी आधार नही है। यदि प्रतिवर्ष 10% वृद्धि होने लगे तो 10 वर्ष में चुंगी आय बढ़कर दो गुनी हो जायेगी और फिर चुंगी दरो में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नही पड़ेगी। यदि आपत्तिकर्ता सदस्य के पास कोई तथ्य या 10% स्वाभाविक वृद्धि का आधार है तो प्रस्तुत कर सकता है। केवल कहनामात्र पर्याप्त नही है। श्री बाबूलाल गुप्त, सभासद ने कहा कि वह एक व्यवसायी हैं और चुँगी देते हैं तथा चुंगी आय वृद्धि से वह सन्तुष्ट हैं। इस पर कई सदस्यों ने उनसे असहमति व्यक्त की और चिन्ता व्यक्त की कि यदि चुँगी विभाग का यही हाल रहा तो कर्मचारियों के वेतन वितरण भी बन्द हो जायेंगे।

3.10.89.

3\. शासनादेश सं० 2701 ए/ 9-1-89-503 (सा०प०अनु)/ 89 दिनांक 26.7.89 द्वारा रु 14.50लाख के अन्तर्गत 106 निर्माण कार्यों के अतिरिक्त 6 निर्माण कार्यों (सूची संलग्न) के आँकलन स्वीकृति हेतु।

प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा यह स्पष्ट किया गया कि पिछली बैठक दिनांक 31.0 में इस अनुदान के अन्तर्गत 106 निर्माण कार्यों के आकलन स्वीकृत किये गये थे, जिसमें सभासद श्री अनवरजा के वार्ड से सम्बन्धित निर्माण कार्यों के आकलन नहीं स्वीकृत हो पाये थे प्रस्तावित 6 निर्माण कार्यों के (सूची संलग्न) आँकलन नहीं स्वीकृत पाये थे। प्रस्तावित 6 निर्माण कार्यों में 3 निर्माण कार्य श्री अनवरजा, सभासद के वार्ड के हैं तथा अन्य क्रमशः मुहल्ला ताड़तला गो. नदी के किनारे स्थित रावटर इन-टेक प्रतिष्ठान को जाने वाली सड़क व मो० अर्जन में सड़क निर्माण तथा नगरपालिका कार्यालय भवन टाउनहाल के सामने सड़क एवं रेलिंग निर्माण/मरम्मत से सम्बन्धित हैं।

विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मति से इन आँकलनों की स्वीकृति प्रदान की गयी।

इसी चर्चा में श्री राजेन्द्र प्र. सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने माँग की कि मुहल्ला जहाँगीराबाद रोड से श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह, सभासद के मकान से होते हुये सुल्तानपुर रोड में मिलने वाली सड़क की दशा बहुत खराब है और इस समय यह

भी सबसे खराब सड़कों में है, अतः इस सड़क को भी इस अनुदान में सम्मिलित कर तत्काल निर्माण कराया जाय। इस प्रस्ताव का समर्थन कई सभासदों ने किया जिस पर इसे स्वीकृत किया गया कि इसका आकलन बनाकर प्रस्तुत किये जांय।

इसी क्रम में डा० सुनील श्रीवास्तव ने मानिक चौक से नये पुल की ओर जाने वाली मल्लाहिया रोड के बारे में बताया कि टेलीफोन केबुल डालने से सड़क क्षतिग्रस्त कर दी गयी है, इसमें पैदल चलना मुश्किल हो रहा है। यह सड़क काफी खराब सड़क है, अतः इसको भी प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त अनुदान में निर्माण कराया जांय। सभासद श्री सोमनाथ आर्य, श्री रमजान खां, कौन्सिल उपाध्यक्ष, डा० कृष्ण कुमार, श्री अनसरजा, श्री गणेशनाथ रावत, सभासद ने इसका समर्थन किया, जिस पर अध्यक्ष ने कहा कि इस पर विचार किया जायेगा। पुनः सदस्यों द्वारा सड़क की दयनीय स्थिति के बारे में जोर दिये जाने पर यह निर्णय लिया गया कि इसका आंकलन बनाकर इसे अगली बैठक में विचार हेतु रखा जाय। इसी क्रम में श्री अनसरजा सभासद ने मांग की कि टेलीफोन केबुल डालने से नगर की कई सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, विशेष कर उनके वार्ड के सड़क की पटरियां अधिक क्षतिग्रस्त हुयी हैं। उन्होंने यह भी मांग की कि टेलीफोन विभाग ने क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

Scanned with OKEN Scanner

3.10.89

हेतु नगर पालिका द्वारा माँगी गयी धनराशि का भुगतान कर दिया है फिर भी क्षतिग्रस्त सड़कों पर पटरियों की मरम्मत में ही व्यय की जाती थी। सदस्यों ने माँग की कि बोर्ड में यह बताया जाय कि वह धनराशि कहाँ और व्यय की गयी। श्री अनसरजा, सदस्य ने यह भी आरोप लगाया उनके वार्ड की इरादतन उपेक्षा की जाती है, ताकि उनके वार्ड क्षेत्र में उनकी छवि धूमिल हो। इस पर अध्यक्ष ने कहा कि वह अपने वार्ड की समस्यायें प्रस्तुत करने में स्वयं रुचि नहीं लेते हैं और उल्टा दोषारोपण करते हैं।

| | |
|---|---|
| 4. प्रस्ताव बाबत कालीकुटी (शास्त्रीनगर) रोड पर परमानन्दपुर सरस्वती बाल मंदिर रोड तक सड़क निर्माण हेतु प्राप्त निविदाओं में निविदा रु 2,74,222=00 ठीकेदार श्री नागेन्द्रनाथ सिंह का परिषद की स्वीकृति हेतु। | विचार किया गया। श्री नागेन्द्रनाथ ठीकेदार की न्यूनतम निविदा रु 2,74,222=00 स्वीकार की जाती है। प्रशासनिक स्वीकृति के लिये आगे की कार्यवाही की जाय। |
| 5. पालिका प्रकाश विभाग के लिए स्ट्रीट लाइट के कार्य हेतु 20=00 दैनिक मजदूरी पर एक मिस्त्री की सेवायें आगे बढ़ाये जाने पर विचार। | एक माह के लिए स्वीकार किया गया। मार्ग प्रकाश के सम्बन्ध में श्री शिवकुमार गुप्त, सभासद ने बताया कि उनके वार्ड में कई सड़कों पर मार्ग प्रकाश की व्यवस्था नहीं है तथा मुख्य- |

Scanned with OKEN Scanner

सड़कों पर जो व्यवस्था है वह भी नहीं प्रकाशित होती। कभी तार टूट जाने की बात कही जाती है तो कभी सामान न होने की बात कही जाती है। सभासद श्री रमजान खां, श्री अनवरजा तथा श्री दयाशंकर ने इसका समर्थन किया। श्री अनवरजा, सभासद ने पुनः अटाला मस्जिद के पास लगी हुयी मर्करी लाइट पिछले एक माह से न जलने का प्रकरण उठाया, जिस पर बताया गया कि सीमित साधनों के अंतर्गत मार्ग प्रकाश व्यवस्था में सुधार किया जायेगा।

| | |
|---|---|
| 6. सफाई विभाग में कार्यरत 25 सफाई कर्मचारियों (स्वच्छकार) की स्वीकृति दैनिक वेतन पर आगे बढ़ाये जाने पर विचार। | सफाई विभाग में 25 दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मचारियों की एक माह के लिए पुनः स्वीकृति प्रदान की गयी। लेकिन सभी सभासदों ने सफाई व्यवस्था के प्रति गहरा आक्रोश व्यक्त किया। 25 दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मचारियों की तैनाती के औचित्य के सम्बन्ध में सभासद श्री रमजान खां ने कहा कि सफाई निरीक्षकों से कहने के बाद भी सफाई नहीं हो पाती, जिससे आम जनता में सभासदों की छवि धूमिल हो रही है। ऐसी दशा में उचित होगा कि इन 25 दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मचारियों को एक एक सफाई कर्मचारी सभी सभासदों के निर्देशन में दे दिये जांय जिससे सभासदगण. |

3.10-89

अपने अपने वार्डों से प्राप्त होने वाली सफाई सम्बन्धी शिकायतों का निस्तारण करा सकें और इन सफाई कर्मचारियों के कार्य भी प्रमाणित हो सकें। अन्यथा इन कर्मचारियों पर व्यय की जा रही धनराशि बेकार फिजूल खर्ची है। श्री रमजान खां कनिष्ठ उपाध्यक्ष के इस प्रस्ताव का अधिकांश सभासदों ने समर्थन किया और कहा कि यह व्यवहारिक दृष्टि से भी उचित होगा। श्री मदन रावत, श्री शिवकुमार गुप्त, श्री दयाशंकर, श्री अनसरजा, डा० कृष्ण कुमार, तथा डा० सुनील श्रीवास्तव ने अपने अपने वार्डों में भीषण गंदगी एवं कूड़े के ढेरों की ओर ध्यान आकृष्ट किया। इन सभासदों ने आरोप लगाया कि सफाई कर्मचारियों की फर्जी हाजिरी भरी जाती है, दूसरी पाली में 50% से अधिक सफाई कर्मचारी अनुपस्थित रहते हैं और सफाई कार्य नहीं के बराबर होता है। सदस्यों ने सफाई नायकों एवं सफाई कर्मचारियों को सफाई निरीक्षकों द्वारा अकारण एवं जानबूझ कर प्रताड़ित एवं आतंकित करने का भी प्रकरण उठाया। सफाई निरीक्षकों में

एक सफाई निरीक्षक श्री कामेश्वरनाथ मिश्र के विरुद्ध दिये गये ज्ञापन का प्रकरण पुनः उठाते हुये यह आरोप लगाया गया कि सफाई व्यवस्था सफाई निरीक्षक के मनमाने व्यवहार के कारण बिगड़ गयी है। अध्यक्ष ने इस पर बताया कि वह इसे देखेंगे तथा नियम का आवश्यक कार्यवाही करेंगे और सफाई व्यवस्था को ठीक करने का हर सम्भव प्रयास करेंगे। इसी बीच श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, उपाध्यक्ष, ने अपनी ओर से एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि नगर क्षेत्र का विस्तार हो रहा, ऐसी दशा में सफाई जोन सर्किल दो और तीन को मिलाकर - 2 के स्थान पर 3 भागों में बाँट दिया जाय और उस पर एक निरीक्षक की तैनाती कर दी जाय। सभासद श्री विद्यासागर सोनकर, ने कहा कि सफाई नायकों के वर्तमान कार्य विभाजन में एक सफाई नायक के क्षेत्र में कई सभासदों के वार्ड क्षेत्र आंशिक रूप से आते हैं, ऐसी दशा में सफाई नायक को प्रायः सभी सभासदों से सम्पर्क बनाये रखना पड़ता है, जिसको वह उपेक्षा भी करता है तथा सभासदों के पास समय से पहुँच भी नहीं पाता है, परिणाम-स्वरूप सभासदों के पास प्राप्त सफाई सम्बन्धी शिकायतों का निस्तारण समय से नहीं हो पाता,

3.10.89

अतः सुझाव यह है कि सफाई
नायकों के कार्य क्षेत्र का
विभाजन पुनः किया जाये और
निर्वाचित सभासदों की संख्या
के अनुसार सफाई कार्य को
विभाजन 23 वार्डों में कर
दिया जाय तथा एक सभासद
के क्षेत्र में एक ही जमादार
तैनात किया जाये, भले ही
इसके लिये कुछ चपरासियों
को भी क्यों न लगाना पड़े।
सर्व श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह,
उपाध्यक्ष, अनसरजा, डा० कृष्ण
कुमार, हुबलाल, डा० सुनील
श्रीवास्तव, सभासद ने इसका
समर्थन किया। इस सम्बन्ध में
यह स्पष्ट किया गया है कि
प्रस्ताव व्यवहारिक है और
इस पर विचार किया जायेगा
तथा आगे होने वाली दूसरी
बैठक में वस्तुस्थिति स्पष्ट
की जायेगी। श्री राजेन्द्र प्रताप
सिंह, उपाध्यक्ष तथा श्री नरेन्द्र
बहादुर सिंह, ~~एवं~~ सभासद ने
कहा कि सफाई निरीक्षक नरेन्द्र
नाथ सिंह एवं सफाई नायक
सफाई कार्यों की ओर कोई
रुचि नहीं लेते हैं। सभासदों के
द्वारा इंगित प्रकरणों पर भी
लापरवाही एवं उपेक्षा करते
हैं। श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, उपाध्यक्ष

ने उदाहरण देकर भी प्रमाणित किया। श्री नरेन्द्रनाथ गौड़, सभासद ने इसकी पुष्टि करते हुए वह अपने क्षेत्र के कुछ व्यक्तियों से मिल लेना ही पूरे क्षेत्र में सफाई हो जाने की सबूत मानते हैं। वार्डों का कभी निरीक्षण नहीं करते और न तो सभासदों से मिलने की आवश्यकता समझते हैं। परिणाम स्वरूप पूरे क्षेत्र में गंदगी का अम्बार है। सभासद ने मछलीबाहर रोड, बदलापुर-पड़ाव, गूलरघाट, नवाबास आदि मुहल्लों का सन्दर्भ दिया। सर्वश्री सोमनाथ आर्य, श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह, तथा वीरेन्द्र प्रताप यादव ने समर्थन किया। अध्यक्ष ने इस पर कहा कि वह इसे देखेंगे और सम्बन्धित निरीक्षक को सचेत करेंगे।

7. सफाई विभाग में 3 ट्रैक्टरों पर दैनिक वेतन भोगी 9 सफाई कर्मचारियों (स्वच्छकार) की स्वीकृति आगे बढ़ाये जाने पर विचार।

सफाई विभाग में कार्यरत ट्रैक्टरों पर प्रति ट्रैक्टर तीन कर्मचारी की दर से 9 दैनिक वेतन सफाई कर्मचारियों की एक माह के लिये स्वीकृति दी गयी। इस प्रसंग में डा० सुनील श्रीवास्तव एवं श्री अनसरजा, सभासद ने जानना चाहा कि पालिका में कुल कितने ट्रैक्टर एवं ट्रक है, जिसमें बताया गया कि पालिका में एक ट्रक तथा 5 ट्रैक्टर हैं। डा० सुनील श्रीवास्तव

3-10-89.

श्री रमजान खां, तथा श्री अनसार
द्वारा यह पूछे जाने पर कि
क्या इस समय दैनिक किराये
पर सफाई कार्य हेतु ट्रैक्टर
चलाये जा रहे हैं? इस पर
सफाई निरीक्षक श्री नरेन्द्रनाथ
सिंह ने बताया कि एक ट्रक
तथा एक ट्रैक्टर खराब है,
जिसके स्थान पर दो ट्रैक्टर
किराये पर चलाये जा रहे हैं।
ट्रक की मरम्मत के सम्बन्ध
में श्री शोभनाथ आर्य द्वारा
प्रस्ताव किये जाने पर श्री
नरेन्द्रनाथ सिंह, सफाई निरी
ने बताया कि ट्रक, श्री वास
मिस्त्री के यहाँ मरम्मत करने हेतु
भेजा गया है। इस पर श्री
शोभनाथ आर्य, सभासद ने
कहा कि जौनपुर में एक
क्षेत्रीय - कार्यशाला (वर्कशाप)
है, जहाँ पर सभी सरकारी
वाहनों की मरम्मत होती है,
उनसे मरम्मत कराये जाने में
देरी। व्ययभार आदि के बारे में
किसी प्रकार की आपत्ति नहीं
होती। श्री अनसर जा, श्री रमजान
खाँ, तथा श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह,
उपाध्यक्ष ने इस बात का समर्थन
किया। अध्यक्ष ने बताया कि
वह सुविधा के अनुसार ही गाड़ि
मरम्मत के लिये भेजे हैं।

समासदों ने अध्यक्ष के इस प्रकार का असन्तोष व्यक्त किया और यह कहा कि इससे पालिका धनराशि का अपव्यय किया जा रहा है।

8. जलकल विभाग में नलकूपों के संचालन हेतु दैनिक वेतन पर चल रहे 39 पम्प आपरेटरों की सेवायें आगे बढ़ाये जाने पर विचार। — एक माह के लिए स्वीकार।

9. जलकल विभाग में पाइप-लाइनों के अनुरक्षण (रख-रखाव) हेतु दैनिक वेतन पर चल रहे 6-बेलदारों की सेवायें आगे बढ़ाये जाने पर विचार। — एक माह के लिये स्वीकार।

जलापूर्ति की चर्चा में श्री अनसरजा, समासद ने कहा कि उनके वार्ड में एक इण्डिया मार्क II हैन्ड पम्प लगाया जा रहा था, जिसकी खुदाई करके लगभग 150 फिट बोरिंग भी कर दी गयी। तीन या चार दिन कार्य भी हुआ लेकिन बाद में उनके वार्ड क्षेत्र से उपरोक्त हैन्ड पम्प को उखाड़कर कहीं सरायफलता क्षेत्र में लगाया जा रहा है जो नितान्त अनुचित है तथा इस बात का द्योतक है कि उनके वार्ड की जानबूझ कर उपेक्षा की जा रही है। समासद ने आरोप लगाते हुये यह जानना चाहा कि ऐसा क्यों तथा किसके आदेश से किया गया। इस सम्बन्ध में जलकल अभियन्ता ने स्पष्ट

3.10.89.

| | |
|---|---|
| | किया कि अध्यक्ष की स्वीकृति से उपरोक्त हैण्ड पम्प को वहाँ से स्थानान्तरित किया गया है लेकिन यह भी बताया कि मान्य सदस्य के वार्ड में एक इंडिया मार्क II हैण्ड पम्प लगाया जाना स्वीकृत है। |

10 अन्य विषय अध्यक्ष की स्वीकृति से —

पूरक कार्य सामग्री (एजेण्डा) दिनांक 3.10.89

| | |
|---|---|
| 1.- परिषद के निर्वाचित 23 सदस्यों को नगर, भ्रमण हेतु ₹700/- मासिक भत्ता स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, अध्यक्ष, सिटी-बोर्ड जौनपुर के प्रस्ताव पर विचार विमर्श। | विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि यह प्रकरण शासन को भेजा जाय। |
| 2. तृतीय पुनर्गठन जलापूर्ति (तुरन्त राहत योजना) के कार्यान्वयन हेतु अधिशासी अभियन्ता, प्रकल्प शाखा, उ०प्र० जल निगम, जौनपुर के पत्र संख्या 2227/W-5-3/73 दिनांक 14-9-89 के अनुसार योजना विरचन शुल्क मद में ₹2.32 लाख भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में परिषद की बैठक में विचार। | विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया कि जल निगम को योजना विरचन शुल्क मद में ₹10,000/- दस हजार का भुगतान कर दिया जाय तथा यह अनुरोध किया जाय कि शेष धनराशि योजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि के प्रासंगिक व्यय से समायोजित कर ली जाय क्योंकि पालिका एक मुश्त |

3.10.89.

| | | |
|---|---|---|
| | | इतनी बड़ी धनराशि भुगतान करने की स्थिति में नहीं है। |
| 3. | नगर में नालों की सफाई के लिये चार सफाई कर्मचारियों तथा सब्जी मंडी में सफाई कार्य के लिये अन्य चार सफाई कर्मचारी को निर्धारित दैनिक मजदूरी पर पालिका अध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 18-8-89 द्वारा की गयी तैनाती परिषद के सूचनार्थ। | नगर में नालों की सफाई तथा सब्जी मंडी की सफाई के नाम पर अध्यक्ष के आदेश दिनांक 18.8.89 द्वारा लगाये गये 8 सफाई कर्मचारियों के मामले में सभी सभासदों ने भारी विरोध किया और यह स्पष्ट किया कि यह पालिका धन का अपव्यय है। सदस्यों ने यह भी आरोप लगाया कि यदि अध्यक्ष स्वयं दैनिक वेतन पर कर्मचारी लगाये जाने में सक्षम है तो फिर 25+9 कुल 34 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की स्वीकृति का मामला बोर्ड में क्यों रखा जा रहा है। सभासदों ने यह आरोप लगाया कि यह परिषद के सदस्यों की उपेक्षा है और उनके महत्व को कम करना है। अधिशासी-अधिकारी द्वारा यह बताया गया कि इन कर्मचारियों के लिये पालिका के आय-व्यय में कोई प्राविधान भी नहीं है। ऐसी दशा में पालिका निधि से इनको वेतन भुगतान करना वित्तीय अनियमितता एवं सम्परीक्षा आपत्ति भी होगी। पुनः एक बार अधिकांश सभासदों ने सफाई कर्मचारियों की फर्जी तैनाती एवं उपस्थिति अंकित करने |

3-10-89.

का आरोप लगाया और कहा कि मात्र दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने से सफाई नहीं होगी। अपितु धन का अपव्यय होगा। अन्त में यह निर्णय लिया गया कि इन कर्मचारियों को तत्काल हटा दिया जाय तथा आज तक का वेतन भुगतान विशेष परिस्थितियों में किया जाय तथा भविष्य में बिना बोर्ड की स्वीकृति के कोई भी दैनिक वेतन कर्मचारी न लगाया जाय।

अन्य विषय:-

1. श्री ज्यारत हुसैन सभासद ने यह जानना चाहा कि पालिका के शमसान घाटों में पक्के चबूतरे बनाने हेतु 4000/- चार हजार की जो धनराशि प्राप्त हुई है, उसे बारादरी शमशान में लगाया जाय। यह पालिका की सीमा के अन्तर्गत है। पालिका सीमा के बाहर वह धनराशि न लगायी जाय। सभासद श्री अनसरजा, उपाध्यक्ष श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, एवं श्री रमजान खां डा० सुनील श्रीवास्तव, श्री शोभनाथ आर्य, श्री दुवलाल ने इसका समर्थन किया।

2. श्री अनसरजा सभासद ने पृष्ठताछ की कि आज 3 अक्टूबर है और पालिका के अधिकारियों एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को अभी तक माह अगस्त 89 का वेतन क्यों नहीं भुगतान किया गया, जब कि माह सितम्बर 1989 के वेतन दिनांक 26-9-89 को ही भुगतान करने के आदेश प्रसारित हो गये हैं।

श्री रमजान खां, कनिष्ठ उपाध्यक्ष, डा० सुनील श्रीवास्तव, समासद ने इसका समर्थन किया, जिस पर अध्यक्ष ने बताया कि पालिका निधि से जैसे जैसे चनराशी होगी, तदनुसार सभी को वेतन मिलता रहेगा।

3. श्री गणेशनाथ उर्फ मदन रावत, समासद ने कहा कि जलकल परिसर की बाउन्ड्री के उत्तरी किनारे की चहारदीवारी को तोड़कर बुदकरपुर जाने वाली सड़क को इतना चौड़ा कर दिया जाय कि उनमें कम से कम जीप आदि निकल सके अन्यथा उस रोड के बनाये जाने का कोई मतलब नहीं है।

समासदों द्वारा अलग अलग कई मुद्दे प्रस्तुत करने चाहे लेकिन इसी के साथ बैठक अध्यक्ष द्वारा समाप्त घोषित कर दी गयी।

(हस्ताक्षर) 25/11/90
अधिशासी अधिकारी,
सिटी-बोर्ड
जौनपुर

(हस्ताक्षर) [illegible]
अध्यक्ष,
सिटी-बोर्ड
जौनपुर